

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 788]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2025 — अश्विन 14, शक 1947

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक LAW/2912/2025/38-2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं. 13, सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2022 अनुसार भारती विश्वविद्यालय, ग्राम—चंदखुरी, दुर्ग (छ.ग.) को नवीन शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत आयुर्वेद, हेल्थ एंड एलाइड साइंस, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग को प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

2. जारी अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई, 2022 में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत ऊपर वर्णित शिक्षण कार्यक्रमों हेतु कडिका (ख) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात्:—

(ग) शिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार भी पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2025

क्रमांक LAW/2912/2025/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-09-2025 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 30th September 2025

NOTIFICATION

No. LAW/2912/2025/38-2. — In exercise of the powers conferred by the provision to sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government had accorded conditional approval to introduce new teaching Programmes - Ayurveda, Health & Allied Sciences, Paramedical and Nursing to Bharti University, Gram - Chandkhuri, Durg (Chhattisgarh).

2. In the said notification dated 05th July 2022, the following condition shall be added in respect to the aforementioned teaching programmes, namely:-

- (c) It shall also be mandatory to seek permission in accordance with the provisions contained in The Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR MISHRA, Deputy Secretary.